राम बाबू बनाम छोटे

क्र. सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	20/6/24	पत्रावली पेश हुई। वकील उपस्थित प्रकरण को [illegible] में नियमित उपस्थित RAA [illegible] है अतः इंतजार दिनांक नियत आदेश के पेश हो। उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर)
	31/7/24	पत्रावली पेश है। वकील उपस्थित इंतजार दिनांक उपस्थित उपस्थित दिनांक 11/9/24 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर)
	11/9/24	पत्रावली पेश हुई। पी0ओ0 साहब अन्य राज्य कार्य में व्यस्त है। अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 18/10/24 को पेश हो।
	18/10/24	पत्रावली पेश [illegible] साहब अन्य राज्य [illegible] है। अतः पत्रावली पूर्वानुसार [illegible] 22/11/24 को पेश हो।
	22/11/24	पत्रावली [illegible] पी0ओ0 साहब [illegible] व्यस्त है। अतः [illegible] दिनांक 26/12/24 को पेश हो।
	26/12/24	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित नहीं। वक्त अदालत वादी व उनके अधिवक्ता को बार-बार आवाज लगवाई गई। वादी व उनके अधिवक्ता की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं होने से वादी का वाद अक्रम धारी अदम पैरवी मे खारिज किया जाता है पावती फैसल शुमार धारा 17 नम्बर 6 का है वाद तकमिल दाखिल दफ्तर है। उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर)